विविध बैंक प्रकरण सं. 14/2020 (GCMS 2020/00032) एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस – त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली , मुम्बई–400025 जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर बनाम 1. प्रदीप कुमार मक्कड़ पुत्र जयपाल मक्कड़ पता डब्ल्यू, 16, बालाजी धाम के पास, रिद्धी सिद्धी एन्कलेव 2 एमएल, श्रीगंगानगर **2. कपिल कुमार मक्कड़** पुत्र प्रदीप कुमार मक्कड़ पता–एस डब्ल्यू 16, बालाजी धाम के पास, रिद्धी सिद्धी एन्कलेव 2 एम एल, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री बनवारी लाल कडेला उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण प्रदीप कुमार मक्कड़ एवं कपिल कुमार मक्कड़ को ऋण सुविधा के रूप में 40,11,808/– रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ आठ मात्र) का ऋण दिनांक 18.06.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रदीप मक्कड़ द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. एस डब्ल्यू 16(क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज), रिद्धी सिद्धी एन्कलेव, चक नं. 2, मुरब्बा नं. 52, किला नं. 16, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 14.06.2018 को अनुत्पादक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 14.06.2018 को 34,62,752/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

60 दिवस का नोटिस दिनांक 20.06.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.06.2019 भिजवाय गये है तथा दो समाचार पत्रों बिजनेस स्टेण्डर्ड एवं सीमा किरण में अप्रार्थीगण के नोटिस का प्रकाश भी करवाया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणियों प्रदीप कुमार मक्कड़ एवं कपिल कुमार मक्कड़ **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं.** एस डब्ल्यू 16(क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज), रिद्धी सिद्धी एन्कलेव, चक नं. 2, मुरब्बा नं. 52, किला नं. 16, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** प्रदीप कुमार मक्कड़ एवं कपिल मक्कड़ को 40,11,808/—रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ आठ मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 18.06.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी प्रदीप कुमार मक्कड **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं.** एस डब्ल्यू 16(क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज), रिद्धी सिद्धी एन्कलेव, चक नं. 2, मुरब्बा नं. 52, किला नं. 16, श्रीगंगानगर **प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी।** प्रार्थी बैंक के [illegible] धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **14.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.06.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.06.2019 को भिजवाने की रसीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक अथवा प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नही है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों बिजनैस स्टेण्डर्ड एवं सीमा किरण में दिनांक 06.07.2019 को प्रकाशन करवाया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है एवं क्या अधिनियम के प्रावधनों की पालना की गई है अथवा नहीं?

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी प्रदीप कुमार मक्कड़ एवं कपिल कुमार मक्कड़ द्वारा **सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं.** एस डब्ल्यू 16(क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज), रिद्धी सिद्धी एन्कलेव, चक नं. 2, मुरब्बा नं. 52, किला नं. 16, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 20.06.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.06.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण प्रदीप कुमार मक्कड़ एवं कपिल कुमार मक्कड़ को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.06.2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के **नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक अथवा प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जबकि प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र में तामील रजिस्टर्ड नोटिस से किया जाना अंकित है।** प्रार्थी बैंक ने 60 दिवस का धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 20.06.2019 को जारी कर दिनांक 21.06.2019 को पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाकर दिनांक 06.07.2019 को अर्थात 15 दिवस के भीतर ही दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया है।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 का नियम 3(1) अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार से है

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

…………..

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है जिसमें अप्रार्थी को 60 दिवस तक बकाया राशि जमा करवाने हेतु समय दिया गया था किन्तु रजिस्टर्ड नोटिस की तामील की 60 दिवस तक प्रतीक्षा किये बिना ही दिनांक 06.07. 2019 को धारा 13(2) का नोटिस लगभग 15 दिवस के भीतर पुनः ही जारी कर अखबारों मे प्रकाशन करवा दिया, जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 की अवहेलना है। इस प्रकार बैंक द्वारा 60 दिवस से पूर्व अर्थात 15 दिवस में ऋणियों को पुनः नोटिस जारी करना अप्रार्थीगण को अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना है। इस प्रकार बैंक द्वारा 60 दिवस की प्रतिक्षा किये बिना विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर नोटिस जारी करने से ऋणियों पर भी अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है। अप्रार्थीगण के नोटिस चस्पांदगी के माध्यम से व दो समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन तभी करवाये जा सकते है जबकि वह किसी प्रकार से ऋणी नोटिस की तामील से बच रहा हो। इसप्रकार उक्त प्रावधानों के विपरीत जारी नोटिस ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता।**

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. I.R.(SC) 7[illegible] - [illegible]e of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr [illegible] जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से मार्गदर्शन दिया गया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्रीगंगानगर

13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

इस प्रकार नियम 3 के प्रावधानों की अवेहलना होने के कारण ऋणियों पर 13(2) के नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता। इसलिए उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्ग दर्शन के विपरीत होने के कारण प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एक्सिस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का **खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब ... दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:38 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर